रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 111] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 23, 1970/आषाढ़ 2, 1892

No. 111] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 23, 1970/ASADHA 2, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 23rd June, 1970

SUBJECT.—*Import of raw materials, components and spares by actual users in the small scale sector during April* 1970—*March* 1971—*Modes of financing.*

No. 87-ITC(PN)/70.—Attention is invited to Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 56-ITC(PN)/70 dated 14th April, 1970 in which the modes of financing in respect of import licences for raw materials, components and spares for April 1970—March 1971 period have been announced.

2. It has been laid down in para 3 of the said Public Notice that in the case of units which have exported 10 per cent. or more of their production during the year 1969, but have exported less than 25 per cent. of their production, the licences may be issued in the manner indicated below:—

(i) Two-thirds of the value of the import licence will be allowed against free foreign exchange (or I.D.A. credit in the case of I.D.A. industries).

(ii) The balance one third of the value will be allowed against any available foreign credit other than I.D.A. credit. If there is a minimum value prescribed for such foreign credit, which is more than one-third, the licence will be issued for the prescribed minimum value with corresponding reduction in the value of the licence to be issued under (i) above.

3. It has now been decided that the licence for one-third of its value referred to in sub-para 2(ii) above, will be issued either against U.K. credit or West German credit subject to the terms and conditions applicable to these credits. There is no minimum value limit for issue of licences under these credits. It will also be open to an applicant to ask for a licence against this entitlement for import from U.S.A. under U.S. AID or from Rupee Payment Area countries, if they are desirous to import raw materials and components from these cources. While applying for licences, the applicants should, therefore, give an option whether a licence may be issued to them against U.K. credit or West German credit or U.S. AID or Rupee Payment Area. In the absence of any such option it will be open to the licensing authority to issue the licence either against U.K. credit or West German credit.

4. It has been laid in paragraph 5(ii) of the aforesaid Public Notice that in the case of units which have not exported atleast 10 per cent. of their production, the half of the value of the licence to be issued will be either against U.S. AID or against Rupee Payment Area, and the applicants should give their option whether the licence may be issued against U.S. AID or Rupee Payment Area. It has now been decided that in such cases, after obtaining a licence against U.S. AID or Rupee Payment Area, it will be open to the licensee to ask for conversion from U.S. AID to Rupee Payment Area or *vice-versa* within three months from the date of issue of the licence.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 23 जून, 1970

विषय : अप्रैल, 1970–मार्च, 1971 के दौरान छोटे पैमाने क्षेत्र के वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा कच्चे माल, संघटक और फालतू पुर्जों का आयात—वित्त प्रबन्ध का तरीका।

संख्या 87 आई० टी० सी० (पी० एन०)/70.—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 56–आई० टी० सी० (पी० एन०)/70, दिनांक 14–4–1970 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है कि अप्रैल, 1970–मार्च, की अवधि के लिए कच्चा माल, संघटक और फालतू पुर्जे के आयात लाइसेंस के सम्बन्ध में वित्त प्रबन्ध के तरीके बताए गए हैं।

2. उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना के पैरा 3 में यह बताया गया है कि उन एककों के मामले में जिन्होंने 1969 वर्ष के दौरान अपने उत्पादन का 10 प्रतिशत या उससे अधिक का निर्यात कर लिया है, लेकिन 25 प्रतिशत से कम निर्यात किया है, उन्हें लाइसेंस नीचे लिखे तरीकों से जारी किए जा सकते हैं :—

(1) आयात लाइसेंस मूल्य का दो तिहाई स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा के लिए स्वीकार्य होगा (या आई० डी० ए० उद्योगों के मामले में आई० डी० ए० क्रेडिट)

(2) शेष एक तिहाई मूल्य आई० डी० ए० क्रेडिट के अलावा किसी भी उपलब्ध विदेशी क्रेडिट के लिए स्वीकार्य होगा। यदि इस प्रकार के विदेशी क्रेडिट के लिए निर्धारित न्यूनतम मूल्य जो एक तिहाई से अधिक है, तो उपर्युक्त (1) के अन्तर्गत जारी होने वाले लाइसेंस के मूल्य में तदनुरूप कमी करके न्यूनतम मूल्य के लिए लाइसेंस जारी किया जायेगा।

3. अब यह निश्चय हो गया है कि उपर्युक्त उप-धारा 2 (ii) में उल्लिखित इसके एक तिहाई मूल्य के लिये यू० के० क्रेडिट या पश्चिम जर्मनी क्रेडिट के लिये लाइसेंस जारी करना इन क्रेडिट के लिये नियमों और शर्तों के लागू होने के अधीन है। इस क्रेडिट के अन्तर्गत लाइसेंस जारी करने के लिये कोई न्यूनतम मूल्य सीमा नही है। संयुक्त राज्य ए० आई० डी० के अन्तर्गत या रुपये में भुगतान करने वाले क्षेत्र देशों से यदि वे इन साधनों के माध्यम से कच्चे माल और संघटक आयात करने के लिये इच्छुक हैं तो संयुक्त राज्य अमरीका से आयात के लिये इस हकदारी के लिये लाइसेंस की मांग किए जाने पर एक आवेदक का भी अधिकार होगा। इसलिये लाइसेंस के लिये आवेदन करते समय आवेदकों को चाहिए कि वे एक विकल्प दे दें कि उनको लाइसेंस यू० के० क्रेडिट या पश्चिम जर्मनी क्रेडिट या संयुक्त राज्य ए० आई० डी० या रुपये में भुगतान क्षेत्र के लिये जारी किया जाये। किसी विकल्प के लिये दिए जाने की स्थिति में लाइसेंस प्राधिकारी को अधिकार होगा कि वह यू० के० क्रेडिट या पश्चिम जर्मन क्रेडिट किसी के लिये लाइसेंस जारी करे।

4. उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना के पैराग्राफ 5 (iii) में बताया गया है कि उन एककों के मामले में जिन्होंने उपने उत्पादन का कम से कम 10 प्रतिशत निर्यात नहीं किया है लाइसेंस के मूल्य के आधे के लिये जारी किया जाने वाला लाइसेंस या तो संयुक्त राज्य ए० आई० डी० के लिये होगा या रुपये में भुगतान क्षेत्र के लिये होगा और आवेदकों को अपना विकल्प देना चाहिये कि लाइसेंस संयुक्त राज्य ए० आई० डी० के लिये या रुपये में भुगतान क्षेत्र के लिये जारी किया जाये। अब यह निश्चय किया गया है कि ऐसे मामलों में, संयुक्त राज्य ए० आई० डी० या रुपये में भुगतान क्षेत्र के लिये लाइसेंस प्राप्त करने के बाद लाइसेंसधारी को यह अधिकार होगा कि लाइसेंस जारी होने की तारीख से तीन मास के भीतर संयुक्त राज्य ए० आई० डी० से रुपये से भुगतान क्षेत्र में या इसी तरह इसके विपरीत में परिवर्तन करने के लिये कहे।

SUBJECT.—*Import Policy for Registered Exporters for the period April, 1970—March, 1971 (Amendment No. 10).*

No. 88-ITC(PN)/70.—Attention is invited to the import policy for registered exporters for the period April, 1970—March, 1971, as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book) Volume II and announced under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 48-ITC(PN)/70, dated 31st March, 1970.

2. The f.o.b. value shown as Rs. 10 in Column 5 against S. No. A.66.9—"Builders Hardware (Non ferrous other than aluminium)" may be amended to read as **Rs. 20** (Twenty only).

विषय :—अप्रैल, 1970—मार्च, 1971 की अवधि के लिये पंजीकृत निर्यातकों के लिये आयात नीति (संशोधन संख्या 10)।

सं० 88-आई० टी० सी० (पी० एन०)/70.—जैसा कि आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक) वाल्यूम 2 में अन्तर्विष्ट है और विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 48-आई० टी० सी० (पी०एन०)/70 दिनांक 31-3-70 के अन्तर्गत बताया गया है, अप्रैल, 1970 मार्च, 1971 की अवधि के लिये पंजीकृत निर्यातकों के लिये आयात नीति की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।